उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 236वीं बैठक
दिनांक 31 मई , 2016 का कार्यवृत्त

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 236वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री सदाकान्त, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई , जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :–

1–	श्री सदाकान्त	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन,उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2–	प्रो0(डॉ0) सुरभि शुक्ला	उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3–	श्री सिद्धार्थ सिंह	उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
4–	श्री सुशील कुमार टिबड़ेवाल	उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
5–	श्री रुद्र प्रताप सिंह	सचिव / आवास आयुक्त, आ0वि0प0	सचिव / सदस्य
6–	श्री सुशील कुमार गुप्ता	वित्त नियंत्रक	सदस्य
7–	श्री आर.के.अग्रवाल	मुख्य अभियंता	सदस्य
8–	श्री डी.सी.गुप्ता	वरिष्ठ नियोजक, प्रतिनिधि, सीटीसीपी उ0प्र0	सदस्य
9–	श्री सी.एस.बनौधा	उप निदे.,प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव सार्व. उद्यम विभाग	सदस्य
10–	श्री एस.के.सिंह	उपसचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, नगर विकास	सदस्य
11–	श्री ए.सी.द्विवेदी	संयुक्त सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
12–	श्री डी.पी.सिंह	मुख्य अभियंता,उपाध्यक्ष, लख.वि. प्राधिकरण,लखनऊ	आमंत्री सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मण्डल तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये :–

विषय सूची

मद सं0	विषय	निर्णय
236/1	परिषद की 235वीं बैठक दिनांक 12 अप्रैल,2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की 235वीं बैठक दि0 12.04.16 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
236/2	परिषद की 235वीं बैठक दिनांक 12 अप्रैल, 2016 की अनुपालन आख्या।	परिषद की 235वीं बैठक दि0 12.04.16 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

236/3	परिषद की इन्दिरानगर विस्तार योजना, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम–स्माइलगंज के खसरा संख्या–30 की भूमि पर बने अवैध निर्माण को वर्तमान व्यवसायिक दर पर आवंटित करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
236/4	परिषद की योजना संख्या–1 कानपुर में समाविष्ट आराजी संख्या–68 के जुज भाग रकबा 500 वर्ग गज का गठित उच्चस्तरीय समिति की शर्त एवं की गयी संस्तुति के अनुसार वाद वापस लेने के शर्त के अधीन	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	आवेदक श्री गोविन्द लाल के पक्ष में आउट आफ कोर्ट वर्तमान दर पर आवंटित कर समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में।	
236/5	परिषद की भक्तयाना मार्ग योजना श्रीनगर की भूमि के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर तथ्यात्मक टिप्पणी के साथ सुविचारित प्रस्ताव आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
236/6	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सुल्तानपुर रोड योजना (अवध विहार योजना, लखनऊ) एवं मै0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, लखनऊ द्वारा विकसित की जा रही हाइटेक टाउनशिप हेतु ग्राम बरौना की 74.876 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के अधीन अनुमोदित किया गया कि मै0 अंसल ए0पी0आई0 द्वारा देय धनराशि के समतुल्य मूल्य की भूमि परिषद के पक्ष मे रजिस्टर्ड मार्गेज कराने के उपरान्त प्रस्ताव सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत शासन को संदर्भित किया जाय।
236/7	अतिक्रमण से प्रभावित/सीमांकित भूमि/परिसम्पत्ति के निस्तारण हेतु मा0 परिषद में निहित शक्तियों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त परिषद अधिनियम–1965 की धारा–56 तथा 88 के अन्तर्गत ऐसे पुराने प्रकरण जो 5 वर्ष या अधिक समय से विवादित है, में यदि आवेदक वर्तमान दर के आधार पर समझौते के लिये सहमत हो, उनमें अधिकतम 500 वर्गमीटर की सीमा तक के प्रकरण को निस्तारित करने के लिए आवास आयुक्त को प्रतिनिधायित किये जाने का निर्णय लिया गया। महत्वपूर्ण प्रकरण अध्यक्ष के संज्ञान में लाया जायेगा।
236/8	प्रदेश के सुनियोजित विकास एवं गम्भीर आवासीय समस्या के निराकरण हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा घोषित आवास एवं पर्यावास नीति 2014 के अन्तर्गत भूमि एकत्रीकरण (लैण्ड पूलिंग) पद्धति से भूमि का जुटाव किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
236/9	परिषद की लोनी रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गाजियाबाद की समितियों के भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का शासनादेश के आलोक में परीक्षण किये जाने का निर्णय लिया गया।
236/10	परिषद की दिल्ली बुलन्दशहर बाईपास मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (सिद्धार्थ विहार) गाजियाबाद के विस्थापित काश्तकारों की समस्याओं के	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त आवास आयुक्त द्वारा एक समिति का गठन कर, समिति की संस्तुति आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

236 / 11	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि विनियम–2011 उत्तराखण्ड (संशोधन –2015) को उत्तराखण्ड स्थित परिषद की सम्पत्तियों हेतु लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त परिषद की उत्तराखण्ड राज्य स्थित सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि विनियम–2011 उत्तराखण्ड (संशोधन–2015) को अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
236 / 12	मैसर्स अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि0 के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0–2बी / जी0एच0–5 वृन्दावन योजना लखनऊ में बेसिक एफ0ए0आर0 को क्रय योग्य एफ0ए0आर0 के रूप में अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी गणना पत्र को शासनादेश संख्या–3589 / आठ –3 –2011–11 विविध / 08 दिनांक 4–8–2011 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0–2बी / जी0एच0–5 वृन्दावन योजना लखनऊ के क्रय योग्य एफ.ए.आर की संशोधित गणना का अवलोकन करते हुए शासनादेश के अनुसार कार्यवाही किये जाने तथा अवशेष प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

समन्वय अनुभाग

236 / 13	परिषद की वर्तमान में संचालित योजनाओं में परिषद कार्मिकों के लिये स्टाफ भवन आरक्षित करने तथा स्थानीय निकाय को हस्तानांतरित योजनओं में स्थित स्टाफ भवनों को अनारक्षित कर उनमें अध्यासित कार्मिकों के पक्ष में निजी रूप से आवंटित करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव कर्मचारी–कल्याण से सम्बंधित होने के कारण सैद्धान्तिक रुप से सहमति व्यक्त की गयी किन्तु प्रस्ताव पर एक सुस्पष्ट एवं सुविचारित नियमावली तैयार कर उसे आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

236 / 14	परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में बल्क सेल भूखण्ड संख्या–4 / बी0एस0–1 एवं 4 / बी0 एस0–5 के भुगतान शिड्यूल को रिशिड्यूल किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रस्ताव पर स्थलीय आख्या प्राप्त कर, सुविचारित मंतव्य के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
236 / 15	परिषद की राजाजीपुरम योजना, लखनऊ स्थित आवासीय भूखण्ड–6 / 4406 / 9 के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
236 / 16	मै0 भाग्यराज डेवलपर्स प्रा0लि0 के पक्ष में आवंटित व्यावसायिक भूखण्ड	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव के प्रस्तर–2 के अनुसार 338.64

	संख्या एन/काम–5 क्षेत्रफल 741.32 का स्थल पर क्षेत्रफल कम होने के कारण कम क्षेत्रफल की भूमि को अन्यत्र स्थान की भूमि (नव सृजित व्यावसायिक भूखण्ड) दिये जाने के संबंध में।	वर्गमीटर भूमि की धनराशि व्याजसहित वापस किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रशासन अनुभाग

236/17	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के अभियन्त्रण संवर्ग के कैडर रिव्यू के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर शासन में कार्यवाही की जा रही है, शासन को शीघ्र निर्णय लिये जाने हेतु अनुरोध किये जाने का निर्णय लिया गया।

अभियंत्रण अनुभाग

236/18	मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद में 220/33 के0वी0 उपकेन्द्र की आरक्षित भूमि को पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन को निःशुल्क हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
236/19	परिषद की राजाजीपुरम योजना लखनऊ के सेक्टर–6 में स्थित मिनी इण्डोर स्टेडियम को अनुरक्षण आदि हेतु प्राइवेट संस्था को दिये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का खेलों के प्रोत्साहन की दृष्टि से परीक्षण कर, सुविचारित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्पत्ति प्रबंध अनुभाग

236/20	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में अजपा परिषद सहकारी आवास समिति लि0 के पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या–11/जी0एच0–4 के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।
236/21	आम्रपाली योजना लखनऊ स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं0 ई–1/काम–1 के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर आवास आयुक्त एक समिति का गठन कर, गुणावगुण आधार पर औचित्यसहित सुविचारित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
236/22	आम्रपाली योजना लखनऊ स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 ई–1/जी0एच0–1 के किसान अन्दोलन के कारण भुगतान अवधि शून्य घोषित करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव मद सं0 236/21 के अनुरुप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

वित्त एवं लेखा अनुभाग

236/23	वित्तीय स्थिति का प्रजेन्टेशन	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त परिषद की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु प्रस्तुत प्रस्तुतिकरण के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया तथा इस दिशा में तत्काल कार्यवाही हेतु आवास आयुक्त को कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया।

लखनऊ जोन

236/24	वृन्दावन योजना, लखनऊ में भवन संख्या–6बी/281 के रख रखाव शुल्क माफ करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

समन्वय अनुभाग

236/25	परिषद सेवा से सेवा निवृत्त कार्मिकों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

236/26	परिषद की सिकन्दरा योजना, आगरा में विवादित/अतिक्रमित 36.73 एकड़ अविकसित भूमि का जहाँ है, जैसे है, के आधार पर नीलामी के माध्यम से निस्तारण किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत भूमि का लीजरेंट सहित आगणित आरक्षित मूल्य रु0 170.33 करोड़ को आधार मानते हुए नीलामी के माध्यम से टिप्पणी के विचारणीय बिन्दु के प्रस्तर 01 से 8 के अनुसार निस्तारित करने के प्रयास का अनुमोदन किया गया। प्रकरण की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए नीलामी की कार्यवाही परिषद मुख्यालय पर कराये जाने का निर्णय लिया गया।
236/27	विकास नगर (कुर्सी रोड विस्तार) योजना, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बटहा सबौली, खसरा संख्या–462स क्षेत्रफल 0.075 हेक्टेयर भूमि का विकास शुल्क जमा कराते हुए मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
236/28	परिषद की दिल्ली रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–8 सहारनपुर में समाविष्ट ग्राम–मवींकला के अन्तर्गत खसरा	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	संख्या–254 कुल क्षेत्रफल 2.73 हेक्टेयर भूमि के संबंध में।	
236/29	कुर्सी रोड विस्तार योजना, लखनऊ में समाविष्ट गाटा संख्या–470 रकबा 1–3–15 बीघा स्थित ग्राम बटहा सबौली तहसील सदर लखनऊ के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में खसरा सं0 470 की रिक्त 1368 व0मी0 भूमि श्रीमती रामदुलारी पत्नी स्व0 श्री लालता प्रसाद के पक्ष में विकास शुल्क लेते हुए समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।
236/30	परिषद की भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–3 झूँसी इलाहाबाद में समाविष्ट आराजी संख्या–298 रकबा 9 विस्वा 10 विस्वांसी स्थित ग्राम–झूँसी कोहना इलाहाबाद का आसुधार शुल्क जमा करके आउट आफ कोर्ट सेटेलमेन्ट करते हुए श्री कौशलेन्द शुक्ल आदि के पक्ष में समायोजन किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
236/31	जनपद मेरठ के ग्राम लिसाडी में परिषद की नई योजना संचालित किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अभियंत्रण अनुभाग

236/32	परिषद में निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु सिक्योर्ड एडवान्स, मोबिलाइजेशन एडवान्स एवं टी0 एण्ड पी0 एडवान्स दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

236/33	आम्रपाली योजना हरदोई रोड, लखनऊ के किसान आन्दोलन के कारण अवरूद्ध कार्यो के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

लखनऊ जोन

236/34	रिट याचिका सं0–11406 आफ 2014 मनीष कुमार प्रेमी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 द्वारा प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन लखनऊ	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19.11.2014 के अनुपालन के सम्बन्ध में।	

सम्पत्ति प्रबंध अनुभाग

236/35	व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–13/एस–2 के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या–14491/2016 अमाया ग्रीन प्रोजेक्ट प्रा0लि0 बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2014 के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त आवास आयुक्त एक समिति के माध्यम से प्रस्ताव का परीक्षण कराकर उसकी संस्तुति आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

236/36	अवध विहार योजना लखनऊ के ग्राम सेवई परगना तहसील व जिला लखनऊ के खसरा संख्या–129 क्षेत्रफल 0.214 हेक्टेयर विद्यालय की भूमि को समायोजित करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

236/37	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय	मा0 अध्यक्ष द्वारा सर्कुलर किये जाने की अपेक्षा आवास आयुक्त से की गई कि सभी परिषद के कार्मिकगण कठोर परिश्रम एवं निष्ठा के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें।

अनुमोदित

(सदाकान्त)
अध्यक्ष